

प्रेषक,
कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
अयोध्या।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2024

विषय:- अयोध्या धाम में भव्य श्री राम जन्म भूमि मन्दिर प्रतिष्ठा समारोह के सफल आयोजन के दृष्टिगत मेला मद में आवंटित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम अयोध्या के पत्र संख्या-2274/न०नि०अयो०/2023-24, दिनांक 04.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अयोध्या धाम में भव्य श्री राम जन्म भूमि मन्दिर प्रतिष्ठा समारोह के सफल आयोजन के दृष्टिगत विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-2686/2023/001-1737705, दिनांक 06.11.2023 द्वारा स्वीकृत धनराशि ₹०-4089.89 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹०-1777.39 लाख आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या धाम में भव्य श्री राम जन्म भूमि मन्दिर प्रतिष्ठा समारोह के सफल आयोजन हेतु विभिन्न कार्य/परियोजनाओं को कराये जाने हेतु, वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापनायें-05-स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीयकृत मेलों एवं प्रदर्शिनियों हेतु व्यवस्था-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित कुल धनराशि ₹०-12600.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹०-5265.12 लाख में से शासनादेश संख्या-2686/2023/001-1737705, दिनांक 06.11.2023 द्वारा स्वीकृत धनराशि ₹०-4089.89 लाख के सापेक्ष निर्गत वित्तीय स्वीकृति धनराशि ₹०-2000.00 लाख के क्रम में हुए वास्तविक व्यय के सापेक्ष अवशेष धनराशि **₹०-1777.39 लाख (रूपये सत्रह करोड़ सत्तहत्तर लाख उन्तालिस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, एतद्वारा आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (1) शासनादेश संख्या-2686/2023/001-1737705, दिनांक 06.11.2023 द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार मण्डलायुक्त अयोध्या का अनुमोदन प्राप्त कर आहरित की जायेगी एवं कार्यदायी विभाग/संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी विभाग द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति से धनराशि व्यय की जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(9) उक्त कार्य/परियोजना को कराये जाने के उपरान्त होने वाला वास्तविक व्यय के सापेक्ष अवशेष देयकों के भुगतान की औचित्यपूर्ण एवं प्रमाणित माँग प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् धनराशि निर्गत की जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 17,77,39,000 (रुपये सत्रह करोड़ सतहत्तर लाख उनतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2053000940500 स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीयक मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by कल्याण बनर्जी

Date: 30-03-2024 17:04:11

Reason: Approved

संयुक्त सचिव।

संख्या-935(1)/2024/005-1737705, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मण्डलायुक्त, अयोध्या को उनके पत्र दिनांक 06.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या को उनके पत्र दिनांक 04.03.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कोषाधिकारी, अयोध्या।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र० प्रयागराज/स्थानीय निकाय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. सुपर वेब यूजर्स/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को एलाटमेंट/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

(6) स्वीकृत धनराशि को व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(9) उक्त कार्य/परियोजना को कराये जाने के उपरान्त होने वाला वास्तविक व्यय के सापेक्ष अवशेष देयकों के भुगतान की औचित्यपूर्ण एवं प्रमाणित माँग प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् धनराशि निर्गत की जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 17,77,39,000 (रुपये सत्रह करोड़ सतहत्तर लाख उनतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2053000940500 स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीयक मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या- ⁹³⁵⁽¹⁾ /2024/005-1737705, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मण्डलायुक्त, अयोध्या को उनके पत्र दिनांक 06.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या को उनके पत्र दिनांक 04.03.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कोषाधिकारी, अयोध्या।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र० प्रयागराज/स्थानीय निकाय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. सुपर वेब यूजर्स/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को एलाटमेंट/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।
Date: 30-03-2024 17:47:08
Reason: Approved

8/6/91-24

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
नगर निगम अयोध्या।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

पत्रांक 2274/न0नि0अयो0/2023-24

दिनांक 04 मार्च 2024

विषय:-

अयोध्या धाम में भव्य श्री राम जन्म भूमि मन्दिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सफल आयोजन के दृष्टिगत मेला मद में आवंटित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र सं0 2045/न0नि0अयो0/2023-24 दिनांक 06 फरवरी 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आगामी 22 जनवरी 2024 में भव्य श्री राम मन्दिर के उद्घाटन के दृष्टिगत शासन के पत्र संख्या 2686/2023/001-1737705 नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 06 नवम्बर 2023 के द्वारा परियोजना/कार्यों के क्रियान्वयन हेतु रू0 4089.89 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 2000.00 लाख (रूपया बीस करोड़ मात्र) की व्यवस्था करते हुए जिलाधिकारी के निवर्तन आवंटन के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 2000.00 लाख आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वर्तमान में श्री राम जन्म भूमि मन्दिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कार्यक्रम उपरान्त दर्शन हेतु नियमित रूप से अतिविशिष्ट/विशिष्ट जनों एवं लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। शासनादेशानुरूप दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यों का निष्पादन विभिन्न फर्मों के माध्यम से कराया जा रहा है, वर्तमान में कार्य पूर्ण/गतिमान स्थिति है। देयताओं की पूर्ति हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 4089.89 लाख के सापेक्ष रू0 3777.39 लाख का व्ययभार अपेक्षित है। जिस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि रू0 2000.00 लाख के अतिरिक्त धनराशि रू0 1777.39 लाख की आवश्यकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि पत्र संख्या 2686/2023/001-1737705 नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 06 नवम्बर 2023 के द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 4089.89 के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 1777.39 लाख आवंटित करने कष्ट करें, जिससे भुगतान के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(सन्तोष कुमार शर्मा)
नगर आयुक्त,
नगर निगम अयोध्या।

नगर आयुक्त,
नगर निगम अयोध्या।

प्रतिलिपि:-1. आयुक्त महोदय, अयोध्या मण्डल, अयोध्या को सादर सूचनार्थ।
विशेष सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

2. जिलाधिकारी महोदय, अयोध्या को सूचनार्थ।

15-3-24
(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-30/03/2024

प्रेषण संख्या:- 935
आवंटन आदेश संख्या:- 001-935-2024-005-1737705
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2053 - जिला प्रशासन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

094 - अन्य स्थापनाएं
05 - स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगाने वाले प्रान्तीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	अयोध्या-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	177739000 1146500000	177739000 1146500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	177739000 1146500000	177739000 1146500000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्रह करोड़ सतहत्तर लाख उनतालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब चौदह करोड़ पैसठ लाख


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव